न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—129/2024

प्रार्थीः—

सवाईसिंह पुत्र शंकरलाल उर्फ समिया उर्फ छगनिया जाति राजपुरोहित निवासी जेठन्तरी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री कपिल श्रीमाली व गौतमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 10.09.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 13, 65, 69, 40, 46, 55 व 56 रकबा क्रमशः 1.6061, 1.8084 , 0.3288, 0.4679 ,1.4543, 0.4806 व 0.1265 हैक्टेयर भूमि ग्राम जेठन्तरी हाल्ट में व खसरा संख्या 502, 534, 525, 553, 478, 477, 476, 472, व 471 रकबा क्रमशः 1.2899, 1.1382, 0.9738, 0.0759, 0.0126, 2.3269, 2.5293, 1.4543 व 2.6684 हैक्टेयर भूमि ग्राम लादूनगर तहसील समदडी में अवस्थित है उक्त भूमि प्रार्थी के पिता ''शंकरलाल उर्फ समिया उर्फ छगनिया पुत्र राणाराम'' के नाम बतौर संयुक्त खातेदार के तौर पर दर्ज है प्रार्थी के दादा राणाराम की फौतगी म्युटेशन दर्ज करते से राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का नाम शंकरलाल का नाम समिया व छगनिया पुत्र राणाराम दर्ज कर दिया। प्रार्थी के पिता का समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात उनका वास्तविक नाम ''शंकरलाल पुत्र राणाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''समिया व छगनिया पुत्र राणा ''लिख दिया । इस प्रकार पिता का अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./24/[illegible]3 दिनांक 08.11.2024 द्वारा प्रार्थी के पिता के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में त[illegible]क रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में [illegible] पुत्र भंवराराम जाति राजपुरोहित निवासी लादूनगर तहसील समदडी के बयान कलमबद करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:52 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम " शंकरलाल पुत्र राणाराम " है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 13, 65, 69, 40, 46, 55 व 56 रकबा क्रमशः 1.6061, 1.8084 , 0.3288, 0.4679 ,1.4543, 0.4806 व 0.1265 हैक्टेयर भूमि ग्राम जेठन्तरी हाल्ट में व खसरा संख्या 502, 534, 525, 553, 478, 477, 476, 472, व 471 रकबा क्रमशः 1.2899, 1.1382, 0.9738, 0.0759, 0.0126, 2.3269, 2.5293, 1.4543 व 2.6684 हैक्टेयर भूमि ग्राम लादूनगर तहसील समदडी में प्रार्थी के पिता का नाम "समिया व छगनिया पुत्र राणाराम" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पास बुक,राशनकार्ड, जन आधार , परिवार राशन कार्ड, एवं बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम "शंकरलाल पुत्र राणाराम" दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी के पिता का नाम "समिया व छगनिया पुत्र राणाराम"दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम "शंकरलाल पुत्र राणाराम" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 13, 65, 69, 40, 46, 55 व 56 रकबा क्रमशः 1.6061, 1.8084 , 0.3288, 0.4679 ,1.4543, 0.4806 व 0.1265 हैक्टेयर भूमि ग्राम जेठन्तरी हाल्ट व खसरा संख्या 502, 534, 525, 553, 478, 477, 476, 472, व 471 रकबा क्रमशः 1.2899,1.1382, 0.9738, 0.0759, 0.0126, 2.3269, 2.5293, 1.4543 व 2.6684 हैक्टेयर भूमि ग्राम लादूनगर तहसील समदडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम "समिया व छगनिया पुत्र राणाराम"के स्थान पर "शंकरलाल उर्फ स[illegible]" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद[illegible] सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:52 IST
Reason: Self Attested

आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)